दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 9 से 12 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सख्या 4 से 6 की ओर से श्री गुरमेल सिंह ढिल्लो अधिवक्कता इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पत्र तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 844 के आधार पर निम्नअनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है–

चक 7 एनडब्ल्यू के प.न. 37/343 मु.न. 20 किला न. 2/.253, 3/.253, 9/.253, 8/.253, 13/.253, 12/.253 कुल 1.518 है. अ.क. में आकाश पुत्र हीरालाल, गितिका पत्नी रवि जाति सोनी वार्ड न. 8 पीलीबंगा मण्डी बहिब खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता/रहन यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/पु.आ. पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * पीलीबंगा (हनुमानगढ़) * सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested